भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/2025-26/356
विवि.एसटीआर.आरईसी.सं.275/21.04.048/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश 2025
विषयसूची

अध्याय I – प्रारंभिक 2
ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 2
बी. प्रयोज्यता 2
सी. परिभाषाएँ 4
अध्याय II - सभी एनबीएफसी पर लागू होने वाले विवेकपूर्ण मानदंड 6
ए. ऋण देने में विवेक और उपभोक्ता शिक्षा 6
बी. आस्ति वर्गीकरण 7
सी. प्रावधानीकरण अपेक्षाएं 8
डी. आय निर्धारण 12
ई. प्रकटीकरण अपेक्षाएं 13
अध्याय III - एनबीएफसी बेस लेयर (एनबीएफसी - बीएल) के रूप में वर्गीकृत एनबीएफसी पर लागू अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड 14
ए. आस्ति वर्गीकरण 14
बी. प्रावधानीकरण अपेक्षाएं 15
अध्याय IV - एनबीएफसी-मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल) के रूप में वर्गीकृत एनबीएफसी पर लागू अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड 16
ए. आस्ति वर्गीकरण 16
बी. प्रावधानीकरण अपेक्षाएं 17
अध्याय V - एनबीएफसी-अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) के रूप में वर्गीकृत एनबीएफसी पर लागू अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड 18
ए. आस्ति वर्गीकरण 18
बी. प्रावधानीकरण अपेक्षाएं 18
अध्याय VI – निरसन और अन्य प्रावधान 20
ए. निरसन और बचाव 20
बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं 20
सी. व्याख्याएं 20

प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक ('रिज़र्व बैंक') को सांविधिक रूप से देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप तथा वित्तीय प्रणाली से संबंधित समिति (अध्यक्ष श्री एम. नरसिंहम) द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने चरणबद्ध रूप में एनबीएफसी के अग्रिम संविभाग के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किये हैं, ताकि प्रकाशित खातों में अधिक सामंजस्य और पारदर्शिता की दिशा में बढ़ा जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेए, 45एल और 45एम तथा फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I – प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश 2025 कहा जाएगा।

2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जिन्हें आगे 'एनबीएफसी' कहा जाएगा) पर लागू होंगे।

   (1) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-डी;

   (2) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-आईसीसी;

   (3) फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-फैक्टर;

(4) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-आईएफसी;

(5) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत आईडीएफ-एनबीएफसी।

4. इन निदेशों के प्रावधान एनएचबी अधिनियम, 1987 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत आवास वित्त कंपनी पर लागू होंगे; जब तक कि इन निदेशों के प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनी) निदेश 2025 के साथ सुसंगत न हों। इन निदेशों के साथ किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनी) निदेश, 2025 में दिए गए अनुदेश प्रभावी होंगे।

5. इन निदेशों के प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी - सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी) पर लागू होंगे; जब तक कि इन निदेशों के प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्था) निदेश 2025 के साथ सुसंगत न हों। इन निदेशों के साथ किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्था) निदेश 2025 में निहित अनुदेश प्रभावी होंगे।

6. इन निदेशों के प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत बंधक गारंटी कंपनियों पर लागू होंगे; जब तक कि इन निदेशों के प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक (बंधक गारंटी कंपनियां) निदेश 2025 के साथ सुसंगत न हों। इन निदेशों के साथ किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में, भारतीय रिज़र्व बैंक (बंधक गारंटी कंपनियां) निदेश 2025 में निहित अनुदेश प्रभावी होंगे।

7. इन निदेशों के प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत मूल निवेश कंपनियों पर लागू होंगे; जब तक कि इन निदेशों के प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक (मूल निवेश कंपनियां) निदेश 2025 के साथ सुसंगत न हों। इन निदेशों के साथ किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में, भारतीय रिज़र्व बैंक (मूल निवेश कंपनियां) निदेश 2025 में निहित अनुदेश प्रभावी होंगे।

8. एनबीएफसी जिसे भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करना आवश्यक है, इन निदेशों और मानकों के बीच किसी भी विसंगति की स्थिति में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई एडवाइजरीज) द्वारा जारी मानकों और सलाहों द्वारा निर्देशित होती रहेगी।

9. इन निदेशों के अतिरिक्त, एनबीएफसी को आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और पुनर्संरचित खातों के लिए अग्रिमों के प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का भी पालन करना होगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निर्धारित है।

10. ये निदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(1) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-पी2पी;

(2) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-एए;

(3) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत एसपीडी;

(4) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत एनओएफएचसी;

(5) 'लोक निधि का लाभ न उठाने वाली और ग्राहक इंटरफेस न रखने वाली एनबीएफसी';

(6) 'ग्राहक इंटरफेस रखने वाली लेकिन लोक निधि का लाभ न उठाने वाली एनबीएफसी-बीएल'।

नोट: इन निदेशों के अंतर्गत प्रयोज्यता भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए फ्रेमवर्क) निदेश 2025 में निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विनियामक संरचना के अनुरूप है।

सी. परिभाषाएँ

11. इस निदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें प्रयुक्त शब्दों का अभिप्राय नीचे दिए गए अनुसार होगा:

(1) *'हानि आस्ति'* से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसी एक से होगा:

(i) ऐसी आस्ति जिसे एनबीएफसी या उसके आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षक द्वारा या संबंधित एनबीएफसी के निरीक्षण के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हानि आस्ति के रूप में पहचाना गया हो, उस सीमा तक जब तक कि संबंधित एनबीएफसी द्वारा उसे बट्टे खाते में नहीं डाला जाता है;

(ii) ऐसी आस्ति जो प्रतिभूति के मूल्य में कमी या प्रतिभूति की अनुपलब्धता या उधारकर्ता की ओर से किसी कपटपूर्ण कृत्य या चूक के कारण गैर-वसूली के संभावित खतरे से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

(2) *'अतिदेय' दर्जा* – किसी भी ऋण सुविधा के अधीन एनबीएफसी को देय कोई राशि 'अतिदेय' तब है यदि वह एनबीएफसी द्वारा निर्धारित तारीख को अदा नहीं की जाती है;

(3) *'मानक आस्ति'* से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है जिसके संबंध में मूलधन की चुकौती या ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं देखी गई है और जो किसी समस्या का प्रकटीकरण नहीं करती है या व्यवसाय से जुड़े सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम नहीं रखती है।

(4) *'इरादतन चूककर्ता'* का अर्थ वही होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - इरादतन चूककर्ता और बड़े चूककर्ता का प्रबंधन) निदेश 2025 के तहत परिभाषित किया गया है।

12. 'सूक्ष्म उद्यम', 'लघु उद्यम' और 'मध्यम उद्यम' शब्दों की परिभाषाएँ 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह' पर दिनांक 2 जुलाई 2020 के परिपत्र एफआईडीडी.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21 के अनुसार होंगी, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

13. *'वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई)', 'वाणिज्यिक स्थावर संपदा – रिहायशी आवास क्षेत्र (सीआरई - आरएच)', 'परियोजना वित्त',* और *'वित्तीय पूर्णता'* शब्दों का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - ऋण सुविधाएं) निदेश 2025 में दिया गया है।

14. जब तक कि इस अधिनियम में परिभाषित न किया गया हो, अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या कंपनी अधिनियम, 2013 या इसके किसी सांविधिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन या रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य विनियमों या रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित शब्दावली के तहत दिया गया है या वाणिज्यिक बोल-चाल में प्रयुक्त होता है, जैसा भी मामला हो।

अध्याय II - सभी एनबीएफसी पर लागू होने वाले विवेकपूर्ण मानदंड

ए. ऋण देने में विवेक और उपभोक्ता शिक्षा

15. 31 दिसंबर 2021 को या उसके बाद संस्वीकृत सभी ऋणों के संबंध में एनबीएफसी को निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना होगा:

(1) ऋण के पुनर्भुगतान की नियत तिथियां, पुनर्भुगतान की आवृत्ति, मूलधन और ब्याज का विवरण, विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) / अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण की तिथियों के उदाहरण आदि ऋण करार में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाएंगे;

(2) उधारकर्ता को ऋण संस्वीकृति के समय और ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान तक संस्वीकृति शर्तों / ऋण करार में किसी भी बाद के परिवर्तन के समय इसकी सूचना दी जाएगी;

(3) मूलधन और/या ब्याज के भुगतान पर अधिस्थगन वाली ऋण सुविधाओं के मामलों में, पुनर्भुगतान प्रारंभ होने की नियत तिथि भी ऋण करार में निर्दिष्ट की जाएगी।

16. 31 दिसंबर 2021 से पहले संस्वीकृति ऋणों के मामले में, पैरा 15 में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा जब भी ऐसे ऋण नवीनीकरण/समीक्षा के लिए देय हो जाएंगे।

17. उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एनबीएफसी को निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना होगा:

(1) अपनी वेबसाइटों पर उपभोक्ता शिक्षा साहित्य प्रकाशित करे, जिसमें उदाहरणों सहित, देय तिथि, एसएमए और एनपीए वर्गीकरण एवं उन्नयन की अवधारणाओं को, विशेष रूप से डे-एंड (दिन की समाप्ति) की प्रक्रिया के संदर्भ में समझाया गया हो;

(2) अपनी शाखाओं में पोस्टर और/या अन्य उपयुक्त माध्यमों से ऐसे उपभोक्ता शिक्षा साहित्य को प्रदर्शित करने पर विचार करे;

(3) यह सुनिश्चित करे कि अग्रिम पंक्ति के अधिकारी ऋण संस्वीकृत/संवितरित/नवीनीकृत करते समय उधारकर्ताओं को उनके द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में इन सभी अवधारणाओं के बारे में शिक्षित करें।

18. एनबीएफसी, देय तिथि के लिए अपने डे-एंड प्रक्रियाओं के भाग के रूप में, उधारकर्ता खाते को अतिदेय के रूप में चिह्नित करेगा, चाहे ऐसी प्रक्रियाएं किसी भी समय चलाई जाएं।

19. इसी प्रकार, उधारकर्ता खातों का एसएमए और एनपीए के रूप में वर्गीकरण संबंधित तिथि के लिए डे-एंड की प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाएगा और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण तिथि वह कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए डे-एंड की प्रक्रिया चलाई जाती है। इस प्रकार, एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के डे-एंड में खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

उदाहरण 1: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च 2021 है और इस तिथि के लिए एनबीएफसी द्वारा डे-एंड प्रक्रिया चलाने से पहले पूरी राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय तिथि 31 मार्च 2021 मानी जाएगी। यदि यह लगातार अतिदेय रहता है, तो 30 अप्रैल 2021 को डे-एंड प्रक्रिया चलाने पर, यानी लगातार 30 दिनों तक अतिदेय रहने पर, इस खाते को एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल 2021 होगी।

इसी प्रकार, यदि खाता बकाया रहता है, तो 30 मई 2021 को डे-एंड की प्रक्रिया चलने पर इसे एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि यह आगे भी बकाया रहता है, तो 29 जून 2021 को डे-एंड की प्रक्रिया चलने पर इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

बी. आस्ति वर्गीकरण

20. पैरा 21 से 27 में दिए गए अनुदेश एनबीसीएफसी-एमएफआई के सूक्ष्म वित्त ऋण पोर्टफोलियो पर लागू नहीं होंगे।

21. एनबीएफसी अपनी सुस्पष्ट ऋण संबंधी कमजोरियों और वसूली के लिए संपार्श्विक जमानत पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखते हुए, अपने पट्टे/किराया खरीद आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों तथा ऋण के अन्य रूपों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत करेगा: (i) मानक आस्तियां; (ii) अवमानक आस्तियां; (iii) संदिग्ध आस्तियां; और (iv) हानि आस्तियां। उपर्युक्त आस्ति वर्गीकरण में भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में तनावग्रस्त ऋणों और अग्रिमों के समाधान के मामलों के लिए निहित आवश्यकताओं का भी पालन किया जाएगा।

22. पैरा 21 में निर्दिष्ट आस्तियों के वर्ग को केवल पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप उन्नत नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निर्धारित उन्नयन के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है।

23. आस्ति वर्गीकरण उधारकर्ता-वार होगा, न कि सुविधा-वार। किसी एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को दी गई सभी सुविधाएं और उधारकर्ता द्वारा जारी की गई सभी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश, सभी को एनपीए/ एनपीआई माना जाएगा, न कि वह विशेष सुविधा/निवेश या उसका कोई भाग जो अनियमित हो गया हो।

24. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' आस्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया गया हो।

25. यदि उधारकर्ताओं के पास एक से अधिक ऋण सुविधाएँ हैं, तो ऋण खातों को एनपीए से मानक आस्ति श्रेणी में तभी अपग्रेड किया जाएगा जब सभी ऋण सुविधाओं से संबंधित ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया जाएगा।

26. पुनर्गठन, वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ तिथि (डीसीसीओ) की प्राप्ति न होने आदि के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों के उन्नयन के संबंध में, इन निदेशों के अनुपालन के अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निहित अनुदेश लागू होंगे।

27. ऋणों के अंतरण से संबंधित लेनदेन के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - ऋण जोखिम का अंतरण और संवितरण) निदेश 2025 के अनुसार होंगी।

सी. प्रावधानीकरण आवश्यकताएँ

28. मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को सकल अग्रिमों से घटाना आवश्यक नहीं है, बल्कि इन्हें तुलन पत्रमें 'मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान' के रूप में अलग से दिखाया जाना चाहिए।

29. किसी खाते के अनर्जक होने, उसके ऐसा निर्धारण, प्रतिभूति की वसूली और गिरवी रखी गई प्रतिभूति के मूल्य में समय के साथ होने वाली कमी के बीच के समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएफआई के सूक्ष्मवित्त ऋण पोर्टफोलियो को छोड़कर) को अवमानक आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों और हानि आस्तियों के संबंध में प्रावधान करना होगा।

30. परियोजना वित्त

(1) परियोजना वित्त ऋणों के लिए, एनबीएफसी को पोर्टफोलियो आधार पर वित्तपोषित बकाया राशि के लिए निम्नलिखित दरों पर सामान्य प्रावधान बनाए रखेगा:

	निर्माण चरण (प्रतिशत में)	परिचालन चरण – ब्याज **<u>और</u>** मूलधन के पुनर्भुगतान की शुरुआत **<u>के बाद</u>** (प्रतिशत में)
सीआरई	1.25	1.00
सीआरई-आरएच	1.00	0.75
अन्य सभी	1.00	0.40

(2) जिन खातों ने डीसीसीओ आस्थगन का लाभ उठाया है और जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनके लिए एनबीएफसी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 के अनुसार अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान बनाए रखेगा।

(3) उपरोक्त उप-पैराग्राफ (1) और (2) में निर्धारित प्रावधान उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे जिनमें 1 अक्टूबर, 2025 को वित्तीय समापन प्राप्त हो चुका है और ऐसे परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान के उद्देश्य से 1 अक्टूबर, 2025 से पहले प्रचलित विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन किया जाता रहेगा, अन्यथा उन्हें निरस्त माना जाएगा।

(4) उप-पैराग्राफ (3) के होते हुए भी, यदि 1 अक्टूबर, 2025 के बाद ऐसी परियोजनाओं में किसी नए क्रेडिट इवेंट का समाधान और/या ऋण करार में भौतिक नियम और शर्तों में कोई परिवर्तन के मामले में, उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (1) और (2) में निर्धारित प्रावधान इन परियोजनाओं पर इस प्रकार लागू होंगे मानो इन्हें 1 अक्टूबर, 2025 के बाद संस्वीकृत किया गया हो।

31. प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए प्रदान की गई चलनिधि सुविधा के लिए प्रावधान मानदंड – भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निदेश 2025 के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में 90 दिनों से अधिक समय से निकाली गई और बकाया चलनिधि सुविधा की राशि के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाएगा।

32. ऋणों, अग्रिमों और अन्य क्रेडिट सुविधाओं, जिनमें खरीदे और भुनाए गए बिलों के साथ-साथ परियोजना ऋण भी शामिल हैं, के संबंध में एनपीए (एनबीएफसी-एमएफआई के सूक्ष्म वित्त ऋण पोर्टफोलियो को छोड़कर) के लिए प्रावधान की आवश्यकता निम्नानुसार होगी:

(1) अवमानक आस्तियां – कुल बकाया राशि का दस प्रतिशत सामान्य प्रावधान किया जाएगा।

(2) *संदिग्ध* आस्तियां:

(i) अग्रिम राशि के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान उस सीमा तक किया जाएगा जहाँ तक अग्रिम राशि उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से कवर नहीं होती है जिस पर एनबीएफसी-बीएल का वैध सहारा है। वसूली योग्य मूल्य का अनुमान यथार्थवादी आधार पर लगाया जाएगा;

(ii) उपर्युक्त (i) के अतिरिक्त, आस्ति के संदिग्ध रहने की अवधि के आधार पर, रक्षित हिस्से (अर्थात बकाया राशि का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य) के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:

वह अवधि जिसके लिए आस्ति को संदिग्ध माना गया है	प्रावधान (प्रतिशत में)
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष	30
तीन वर्ष से अधिक	50

(3) हानि आस्तियां – संपूर्ण आस्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश आस्तियां बहीखातों में बनी रहती हैं, तो बकाया राशि का 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा।

33. किराया खरीद और पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं निम्नानुसार होंगी:

(1) किराया खरीद आस्तियों के संबंध में, कुल देय राशि (बकाया और भविष्य की किश्तों को एक साथ मिलाकर) में से निम्नलिखित घटकों को घटाकर प्रावधान किया जाएगा।

(i) लाभ-हानि खाते में जमा न किए गए और अपरिपक्व वित्त शुल्क के रूप में आगे ले जाए गए वित्त शुल्क;

(ii) अंतर्निहित आस्ति का मूल्यह्रास मूल्य।

(2) उप-पैरा (1) के प्रयोजन के लिए, आस्ति का मूल्यह्रास मूल्य काल्पनिक रूप से आस्ति की मूल लागत में से प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की दर से सीधी रेखा पद्धति द्वारा मूल्यह्रास घटाकर निकाला जाएगा। साथ ही, पुरानी आस्ति के मामले में, मूल लागत ऐसी पुरानी आस्ति के अधिग्रहण के लिए वास्तविक लागत होगी।

(3) किराया खरीद और पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में, निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किए जाएंगे:

(i)	जहां किराया शुल्क या पट्टे का किराया 12 महीने तक बकाया हो	शून्य
(ii)	यदि किराया शुल्क या पट्टे का किराया 12 महीने से अधिक और 24 महीने तक बकाया है	निवल बही मूल्य का 10 प्रतिशत
(iii)	जहां किराया शुल्क या पट्टे का किराया 24 महीने से अधिक लेकिन 36 महीने तक बकाया हो	निवल बही मूल्य का 40 प्रतिशत
(iv)	जहां किराया शुल्क या पट्टे का किराया 36 महीने से अधिक लेकिन 48 महीने तक बकाया हो	निवल बही मूल्य का 70 प्रतिशत
(v)	जहां किराया शुल्क या पट्टे का किराया 48 महीने से अधिक समय से बकाया है	निवल बही मूल्य का 100 प्रतिशत

(4) किराया खरीद/पट्टे पर दी गई आस्ति की अंतिम किस्त की नियत तिथि के बाद 12 महीने की अवधि समाप्त होने पर, संपूर्ण निवल बही मूल्य के लिए पूर्ण रूप से प्रावधान किया जाएगा।

(5) किराया खरीद करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी के पास रखी गई जमानती राशि / मार्जिन राशि या प्रतिभूति जमाराशि को उपर्युक्त उप-पैरा (1) में निर्धारित प्रावधानों के विरुद्ध घटाया जा सकता है, यदि करार के तहत समतुल्य मासिक किस्तों की गणना करते समय इसे पहले से ही गणना नहीं की गई हो।

(6) किराया खरीद करार के अनुसार उपलब्ध किसी अन्य प्रतिभूति का मूल्य केवल उपर्युक्त उप-पैरा (3) में निर्धारित प्रावधानों के विरुद्ध ही घटाया जाएगा।

(7) पट्टा करार के अनुसार उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी के पास रखी गई प्रतिभूति जमाराशि, साथ ही पट्टा करार के अनुसार उपलब्ध किसी अन्य प्रतिभूति का मूल्य, केवल उपर्युक्त उप-पैरा (3) के तहत निर्धारित प्रावधानों के विरुद्ध ही घटाया जाएगा।

(8) एनपीए पर आय निर्धारण और उनके विरुद्ध प्रावधान करना विवेकपूर्ण मानदंडों के दो भिन्न पहलू हैं और मानदंडों के अनुसार एनपीए पर कुल बकाया शेष राशि पर प्रावधान करना आवश्यक है, जिसमें पट्टे पर दी गई आस्ति का मूल्यह्रास सहित, पट्टा समायोजन खाते में शेष राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, एनपीए पर प्रावधान करना शामिल है। एनपीए पर आय निर्धारण न होने को प्रावधान न करने का कारण नहीं माना जाएगा।

(9) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद लिखे गए सभी वित्तीय पट्टों में खरीद आस्तियों को किराए पर लेने के लिए लागू प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं लागू होंगी।

34. भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) का अनुपालन करने वाली एनबीएफसी को इंडएएस द्वारा निर्धारित हानि भत्ते रखने होंगे। इसके साथ ही, एनबीएफसी को इन निदेशों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण बनाए रखना होगा और प्रावधानों की गणना करनी होगी, जिसमें मानक आस्ति प्रावधान, उधारकर्ता/लाभार्थी-वार वर्गीकरण, मानक और पुनर्गठित आस्तियों के लिए प्रावधान, एनपीए की अवधि आदि शामिल हैं, जो प्रावधान आवश्यकताओं के लिए विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा का काम करेंगे।

35. जहां इंड एएस 109 के तहत हानि भत्ता विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा से कम है, वहां एनबीएफसी कर पश्चात निवल लाभ या हानि में से अंतर राशि को एक अलग 'हानि आरक्षित निधि' में समायोजित करेगी। 'हानि आरक्षित निधि' में शेष राशि को विनियामक पूंजी में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित निधि से कोई निकासी की अनुमति नहीं होगी।

36. पैरा 35 में निर्दिष्ट विनियोजन को विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा की गणना के लिए शामिल किया जाएगा, लेकिन निवल एनपीए की गणना के लिए इसे शामिल नहीं किया जाएगा।

डी. आय निर्धारण

37. आय निर्धारण मान्यता प्राप्त लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित होगी।

38. एनपीए पर ब्याज/छूट/किराया शुल्क/पट्टा किराया या कोई अन्य शुल्क सहित आय का तभी निर्धारण किया जाएगा जब वह वास्तव में प्राप्त हो जाए। आस्ति के अनर्जक होने से पहले निर्धारित और अप्राप्त ऐसी कोई भी आय प्रतिवर्तित कर दी जाएगी।

39. ऐसे ऋणों के मामलों में जहां ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन दिया गया है, उन खातों के लिए उपार्जन आधार पर आय निर्धारण किया जा सकता है जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में दी गई 'पुनर्गठन' की परिभाषा के आधार पर किया जाएगा।

40. यदि ब्याज भुगतान पर अधिस्थगन (ऋण की स्वीकृति के समय अनुमति दी गई) वाले ऋण, अधिस्थगन की अवधि समाप्त होने के बाद एनपीए हो जाते हैं, तो ऐसी अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्जित ब्याज के अनुरूप पूंजीकृत ब्याज को प्रतिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है।

ई. प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

41. एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश 2025 में निहित अपेक्षाओं के अनुसार अपने लेखा-नोटों में उपयुक्त प्रकटीकरण करना होगा।

अध्याय III - एनबीएफसी बेस लेयर (एनबीएफसी - बीएल) के रूप में वर्गीकृत एनबीएफसी पर लागू अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड

ए. आस्ति वर्गीकरण

42. ये निर्देश पैरा 20 से 27 में दिए गए अनुदेशों के अतिरिक्त होंगी।

43. अनर्जक आस्ति (एनपीए) से तात्पर्य निम्नलिखित आस्तियों में से एक या अधिक आस्तियों से है:

(1) ऐसी आस्ति, जिस पर ब्याज 180 दिनों से अधिक समय से बकाया है;

(2) अदत्त ब्याज सहित सावधि ऋण, जिसकी किस्त 180 दिनों से अधिक समय से बकाया है या जिस पर ब्याज राशि 180 दिनों से अधिक समय से बकाया है;

(3) मांग या शिघ्रावधि मांग ऋण, जो मांग या शिघ्रावधि मांग की तिथि से 180 दिनों से अधिक समय से बकाया है या जिस पर ब्याज राशि 180 दिनों से अधिक समय से बकाया है;

(4) बिल जो 180 दिनों से अधिक समय से बकाया है;

(5) अल्पकालिक ऋण/अग्रिम के रूप में 'अन्य चालू आस्तियों' के अंतर्गत किसी ऋण पर ब्याज या प्राप्य राशियों पर आय, जो 180 दिनों से अधिक समय से बकाया है;

(6) आस्तियों की बिक्री या प्रदान की गई सेवाओं या किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के कारण कोई भी देय राशि, जो 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया रही हो;

(7) पट्टे का किराया और किराया खरीद की किस्त, जो 180 दिनों से अधिक समय से बकाया हो गई है;

बशर्ते कि पट्टे और किराया खरीद लेनदेन के मामले में, लागू एनबीएफसी प्रत्येक ऐसे खाते को उसके वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर वर्गीकृत करेगी।

(8) ऋणों, अग्रिमों और अन्य क्रेडिट सुविधाओं (खरीदे और भुनाए गए बिलों सहित) के संबंध में, क्रेडिट सुविधाओं के तहत बकाया राशि (उपार्जित ब्याज सहित) उसी उधारकर्ता / लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई, जब उपर्युक्त क्रेडिट सुविधाओं में से कोई भी अनर्जक आस्ति बन जाती है।

44. पैरा 43 में उल्लिखित एनपीए वर्गीकरण के लिए 180 दिनों से अधिक की अवधि को लागू एनबीएफसी के लिए निम्नलिखित ग्लाइड पाथ द्वारा 90 दिनों से अधिक की अतिदेय अवधि में बदल दिया गया है:

एनपीए मानदंड	समयसीमा
>150 दिन से बकाया	31 मार्च 2024 तक
>120 दिन से बकाया	31 मार्च 2025 तक
> 90 दिन	31 मार्च 2026 तक

स्पष्टीकरण: उपर्युक्त ग्लाइड पाथ उन एनबीएफसी पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले से ही 90-दिन के एनपीए मानदंड का पालन करना अनिवार्य है।

45. अवमानक आस्ति से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसी एक से होगा:

(1) ऐसी आस्ति जिसे 18 माह से अधिक की अवधि के लिए अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;

(2) ऐसी आस्ति, जिसके ब्याज और/या मूलधन से संबंधित करार की शर्तों को परिचालन प्रारंभ होने के बाद पुन: परक्रामित, पुनर्निर्धारण या पुनर्गठन किया गया हो, जो पुन: परक्रामित, पुनर्निर्धारण या पुनर्गठन की गई शर्तों के तहत संतोषजनक कार्य-निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति तक हो।

46. संदिग्ध आस्ति का अर्थ होगा (i) सावधि ऋण, या (ii) पट्टा आस्ति, या (iii) किराया खरीद आस्ति, या (iv) कोई अन्य आस्ति, जो 18 महीने से अधिक की अवधि के लिए अवमानक आस्ति बनी रहती है।

बी. प्रावधानीकरण आवश्यकताएँ

47. ये निर्देश पैरा 28 से 36 में दिए गए अनुदेशों के अतिरिक्त होंगी।

48. एनबीएफसी-बीएल बकाया राशि के 0.25 प्रतिशत की दर से मानक आस्तियों के लिए प्रावधान करेगी, जिसे निवल एनपीए की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

49. भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में एनबीएफसी को दिए गए अनुदेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप-पैरा 43(2) में संदर्भित किराया खरीद/पट्टे पर ली गई आस्ति, जिसे पुन: परक्रामित या पुनर्निर्धारित किया गया है, अवमानक आस्ति रहेगी या उसी श्रेणी में बनी रहेगी जिस श्रेणी में वह संदिग्ध आस्ति या हानि आस्ति के रूप में पुन: परक्रामित या पुनर्निर्धारित से पहले थी। ऐसी आस्ति के उन्नयन तक, लागू नियमों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।

अध्याय IV - एनबीएफसी-मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल) के रूप में वर्गीकृत एनबीएफसी पर लागू अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड

ए. आस्ति वर्गीकरण

50. ये निर्देश पैरा 20 से 27 में दिए गए अनुदेशों के अतिरिक्त होंगी।

51. किसी एनबीएफसी-एमएल के लिए, कोई आस्ति अनर्जक आस्ति (एनपीए) तब मानी जाएगी जब निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी हो:

(1) ऐसी आस्ति, जिस पर ब्याज 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है;

(2) अदत्त ब्याज सहित सावधि ऋण, जिसकी किस्त 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है या जिस पर ब्याज राशि 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है;

(3) मांग या शिघ्रावधि मांग ऋण, जो मांग या शिघ्रावधि मांग की तिथि से 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है या जिस पर ब्याज राशि 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है;

(4) बिल जो 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है;

(5) अल्पकालिक ऋण/अग्रिम के रूप में 'अन्य चालू आस्तियों' के अंतर्गत किसी ऋण पर ब्याज या प्राप्य राशियों पर आय, जो 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है;

(6) आस्तियों की बिक्री या प्रदान की गई सेवाओं या किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के कारण कोई भी देय राशि, जो 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया रही हो;

(7) पट्टे का किराया और किराया खरीद की किस्त, जो 90 दिनों से अधिक समय से बकाया हो गई है;

बशर्ते कि एनबीएफसी -एमएल प्रत्येक ऐसे खाते को उसके वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर वर्गीकृत करेगी।

(8) ऋणों, अग्रिमों और अन्य क्रेडिट सुविधाओं (खरीदे और भुनाए गए बिलों सहित) के संबंध में, क्रेडिट सुविधाओं के तहत बकाया राशि (उपार्जित ब्याज सहित) उसी उधारकर्ता / लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई, जब उपर्युक्त क्रेडिट सुविधाओं में से कोई भी अनर्जक आस्ति बन जाती है।

52. अवमानक आस्ति से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसी एक से होगा:

(1) ऐसी आस्ति जिसे 12 माह से अधिक की अवधि के लिए अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;

(2) ऐसी आस्ति, जिसके ब्याज और/या मूलधन से संबंधित करार की शर्तों को परिचालन प्रारंभ होने के बाद पुन: परक्रामित, पुनर्निर्धारण या पुनर्गठन किया गया हो, जो पुन: परक्रामित, पुनर्निर्धारण या पुनर्गठन की गई शर्तों के तहत संतोषजनक कार्य-निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति तक हो।

53. संदिग्ध आस्ति का अर्थ होगा (i) सावधि ऋण, या (ii) पट्टा आस्ति, या (iii) किराया खरीद आस्ति, या (iv) कोई अन्य आस्ति, जो बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए अवमानक आस्ति बनी रहती है।

बी. प्रावधानीकरण आवश्यकताएँ

54. ये निर्देश पैरा 28 से 36 में दिए गए अनुदेशों के अतिरिक्त होंगी।

55. एनबीएफसी-एमएल बकाया राशि के 0.40 प्रतिशत की दर से मानक आस्तियों के लिए प्रावधान करेगी, जिसे निवल एनपीए की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: उपर्युक्त मानक आस्ति प्रावधान की दर सूक्ष्मवित्त ऋणों के संबंध में भी लागू होगी।

अध्याय V - एनबीएफसी-अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) के रूप में वर्गीकृत एनबीएफसी पर लागू अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड

ए. आस्ति वर्गीकरण

56. पैरा 50 से 53 में निहित निर्देश पैरा 20 से 27 में निहित अनुदेशों के अतिरिक्त एनबीएफसी-यूएल पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगी।

बी. प्रावधानीकरण आवश्यकताएँ

57. ये निर्देश पैरा 28 से 36 में दिए गए अनुदेशों के अतिरिक्त होंगी।

58. एनबीसी-यूएल को बकाया निधि राशि के लिए निम्नलिखित दरों पर 'मानक' आस्तियों के संबंध में प्रावधान बनाए रखना होगा:

आस्तियों की श्रेणी	**प्रावधान की दर**
व्यक्तिगत आवास ऋण और लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों (एसएमई) को दिए जाने वाले ऋण	0.25 प्रतिशत
लुभावनी दरों पर दिए गए आवास ऋण	2.00 प्रतिशत जो उच्च दरों पर दरों के पुनर्निर्धारण की तारीख से 1 वर्ष बाद घटकर 0.40 प्रतिशत हो जाएगा (यदि खाते 'मानक' बने रहते हैं)
वाणिज्यिक स्थावर संपदा – रिहायशी आवास (सीआरई - आरएच) क्षेत्र में अग्रिम	0.75 प्रतिशत
वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र (सीआरई-आरएच को छोड़कर) को दिए गए अग्रिम	1.00 प्रतिशत
पुनर्गठित अग्रिम	जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - तनावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निर्धारित है
ऊपर उल्लिखित ऋणों के अलावा अन्य सभी ऋण और अग्रिम, जिनमें मध्यम उद्यमों को दिए गए ऋण भी शामिल हैं	0.40 प्रतिशत

स्पष्टीकरण: लुभावनी दरों पर दिए जाने वाले आवास ऋण का अर्थ है ऐसे आवास ऋण जिन पर पहले कुछ वर्षों में ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम होती हैं, जिसके बाद ब्याज दरें उच्च दरों पर निर्धारित की जाती हैं।

59. अनुमत डेरिवेटिव लेनदेन के कारण उत्पन्न वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर पर भी वही प्रावधान लागू होंगे जो संबंधित प्रतिपक्षों की 'मानक' श्रेणी में ऋण आस्तियों पर लागू होते हैं। मानक आस्तियों के लिए प्रावधानों के निर्धारण हेतु लागू सभी शर्तें अनुमत डेरिवेटिव लेनदेन के लिए उपर्युक्त प्रावधानों पर भी लागू होंगी।

60. पैरा 59 के प्रयोजन के लिए, वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर का अर्थ एक ही प्रतिपक्ष के संबंध में सभी डेरिवेटिव संविदाओं के सकल सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का योग होगा, जिसमें उसी प्रतिपक्ष के साथ संविदाओं के किसी भी नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य के विरुद्ध समायोजन नहीं किया जाएगा।

अध्याय VI – निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचाव

61. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त बने रहेंगे।

62. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई या की जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के अंतर्गत दिए गए सभी अनुमोदन या अभिस्वीकृतियाँ इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएँगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से निम्न पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(1) इसके अंतर्गत अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;

(2) इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;

(3) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या पूर्वोक्त दंड के संबंध में कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है जैसे कि इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

63. इन निदेशों के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल।

सी. व्याख्याएं

64. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे

तो, इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

वैभव चतुर्वेदी
(मुख्य महाप्रबंधक)